

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर

2

पत्रांक : ५१ /नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर

दिनांक : 16-02-2017

### निविदा-सूचना

एतद् द्वारा जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित वर्दी से सम्बन्धित कपड़ों की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये मुहरबन्द निविदायें निर्धारित प्रारूप पर आमन्त्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म निर्धारित प्रारूप, नियम एवं शर्तों सहित जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 3 बजे अपराह्न के मध्य रु0 100/- मात्र का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण एवं अन्य सभी नियम एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in), जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की वेबसाइट [www.ecourts.gov.in/shahjahanpur](http://www.ecourts.gov.in/shahjahanpur) एवं [www.shahjahanpur.nic.in](http://www.shahjahanpur.nic.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ "जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर" के नाम रु0 100/- मात्र मूल्य (निविदा प्रपत्र शुल्क) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि शाहजहाँपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होकर न्यायालय में प्राप्त किये जायेंगे। निविदायें दिनांक 07-03-2017 अपराह्न 02:00 बजे तक जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में प्राप्त की जायेंगी एवं दिनांक 08-03-2017 को अपराह्न 04:00 बजे जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के क्रय समिति के अध्यक्ष के कक्ष में खोली जायेंगी। जो निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, कक्ष में समय से उपस्थित रहें। बिना धरोहर धनराशि रु0 3500/- मात्र एवं नमूना के निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा फर्मों की कोई शर्त बाध्यकारी नहीं होगी। कपड़े का नमूना 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिये तथा कपड़े पर कम्पनी का ट्रेड मार्क अंकित होना चाहिये। गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जायेगी, निविदा केवल उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत फर्मों तथा उनके अधिकृत वस्त्र विक्रेताओं की ही मान्य होगी। निविदा के साथ फर्म के पंजीकरण की छायाप्रति, वैट पंजीकरण की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं विगत वर्ष के आयकर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना कारण बताये जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर को किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रहेगा।

9.2.17  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाहजहाँपुर।


### प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु :-

- 1- कम्प्यूटर विभाग, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 2- कम्प्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को इस जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 3- निदेशक (सूचना), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, लखनऊ को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस जनपद की वेबसाइट [www.shahjahanpur.nic.in](http://www.shahjahanpur.nic.in) पर प्रकाशन हेतु।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।
- 6- अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर।
- 7- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
- 8- सम्प्रस्त तहसीलदार, जनपद शाहजहाँपुर।
- 9- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 10- नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

अध्यक्ष, क्रय समिति,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाहजहाँपुर।


**टेण्डर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे :-**

- 1 - टेण्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है ।
- 2 - बिना धरोहर धनराशि एवं नमूना के निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा फर्मों की कोई शर्त बाध्यकारी नहीं होगी।
- 3 - कपड़े का नमूना 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिये तथा कपड़े पर कम्पनी का ट्रेड मार्क अंकित होना चाहिये।
- 4 - गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जायेगी, निविदा केवल उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत फर्मों तथा उनके अधिकृत वस्त्र विक्रेताओं की ही मान्य होगी।
- 5 - टेण्डर के साथ अंकन रु0 3500/- मात्र की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक या नगद रूप में जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के पक्ष में जमा करनी होगी। जिस फर्म का टेण्डर स्वीकार किया जायेगा, उस फर्म को जमा की गयी धरोहर राशि कपड़े की आपूर्ति उपरान्त ही वापस की जायेगी तथा शेष फर्मों को निविदा खुलने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
- 6 - स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर) को अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।
- 7- सूची में उल्लेखित मात्रा केवल अनुमानित मात्रा है। सूची में उल्लेखित मात्रा को खरीदने के लिये न्यायालय बाध्य नहीं है एवं उल्लेखित मात्रा क्रय आदेश में कम या ज्यादा हो सकती है।
- 8- निविदा के साथ फर्म के पंजीकरण की छायाप्रति, वैट पंजीकरण की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं विगत वर्ष के आयकर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 9- फर्म द्वारा दी गयी दरों में सभी प्रकार के टैक्स तथा न्यायालय तक पहुँचाने का शुल्क आदि सम्मिलित रहेंगे। उक्त धनराशि का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 10- किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद शाहजहाँपुर होगा।

  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाहजहाँपुर।

**LIST OF SUMMER AND WINTER LIVERIES ITEMS FOR CLASS - IV EMPLOYEE'S FOR  
THE FINANCIAL YEAR 2016 - 2017**

Sl.No.	Name of items	Quantity
1.	Shirting Cloth (White)- Mafatlal/Reliance/Raymonds	768.2 Meters
2.	Suiting Cloth (White)- S.Kumar/Vimal/Raymonds	196.8 Meters
3.	Blazer Cloth (Navy Blue)- O.C.M/Digjam	156.6 Meters
4.	White Colour Georgette Saari	04 Pcs.
5.	White colour Cotton Cloth	09 Meters
6.	Georgette Chunri (White)	06 Pcs.

  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शाहजहाँपुर।

**Short Term Tender for supply of Summer and Winter Liveries**

1. Firm Name of Tenderer .....

2. Name of Proprietor/Partner .....

3. Address .....

4. Phone Nos .....

5. Trade Tax/Vat Registration No. ....  
(Please enclose Photocopy)

6. Details of Earnest Money :-

Draft No. ....

Drawn on (Bank) .....

Date .....

Amount .....

7. Name of Authorised person with phone number.....  
(if any)

Dated :-

(Signature of Tenderer)  
Seal